संख्याः-589 /I(2)/2008-06(1)/27(Vol-II)/03

प्रेषक

सी0 भास्कर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2.

देहरादूनः दिनाकः 03 मार्च, 2008

विषयः– **RIDF-IX योजना के अन्तर्गत पावर सैक्टर की सिस्टम इम्प्रुवमेंट परियोजना के लिये पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि0 को वित्तीय वर्ष 2007–08 में नाबार्ड से धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 104 / प्र0नि0 / पिटकुल / नाबार्ड, दिनांक 15.02.2008 एवं शासनादेश स0 132/I(2)2007-06(1)/27(Vol-II)/03, दिनांक 04.01.2008 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2007–08 में नाबार्ड से RIDF-IX योजना के अन्तर्गत पावर सेक्टर की सिस्टम इम्प्रुवमेंट हेतु 15 परियोजनाओं के लिये नाबार्ड द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त ऋण रु0 94.16 करोड (रु0 चौरानबे करोड सोलह लाख मात्र) के सापेक्ष संगत मद में बजट प्राविधान से रु0 28,00,00,000.00 (रु0 अटठाईस करोड मात्र) एवं संलग्न बी0एम0 15 प्रपत्र के अनुसार बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा रु0 16,16,00,000.00 (रु0 सोलह करोड सोलह लाख मात्र) अर्थात् कुल रु0 44,16,00,000.00 (रु0 चवालिस करोड सोलह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

1– स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के लिये बिलो पर प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये जिलाधिकारी, देहरादून को प्राधिकृत किया जाता है।

2– स्वीकृत धनराशि के आगणनों पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ न किया जाए अथवा नियमानुसार पूर्व से अनुमोदित एवं चालू कार्यों पर ही व्यय किया जाय।

3– धनराशि का उपयोग नाबार्ड के गाईड लाईन्स के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

4– उक्त स्वीकृत ऋण पर 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

5– ऋण पर देय ब्याज एवं मूलधन की अदायगी त्रैमासिक रुप से संगत राजस्व लेखा शीर्षक में राज्य सरकार के खाते में की जायेगी, जिसकी मूल धनराशि की अदायगी शासनादेश निर्गत होने के तीन वर्षो के पश्चात् वार्षिक 5 किश्तों में की जायेगी, जिसकी प्रथम किश्त 01 मार्च, 2011 को देय होगी एवं ब्याज की अदायगी त्रैमासिक आधार पर की जायेगी।

6– पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 उक्त धनराशि का रिम्बर्समेंट क्लेम अविलम्ब प्रस्तुत करेगा तथा लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि नाबार्ड से स्वीकृत कराकर सम्बन्धित 15 परियोजनाओं को दिनांक 31.03.2008 तक पूर्ण करेगा।

7– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

8- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मासिक आधार पर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और धनराशि का व्यय करने में नाबार्ड के दिशा निर्देशों तथा वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग के पश्चात् परियोजनाओं का वी.सी.आर. प्रस्तुत करते हुये धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिपूर्ति दावे का प्रस्ताव तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9- व्यय करते समय बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रुल्स, वित्तीय हस्त पुस्तिका, मितव्ययता के विषय में समय-समय पर निर्गत आदेशो का अनुपालन किया जाये।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही योजनाओं पर किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है और निर्धारित समय मे इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नाबार्ड को एव राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

11- स्वीकृत ऋण को चालू वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदान सं0 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-05-पारेषण व वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो और अन्य उपक्रमों में निवेश-05-पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को नाबार्ड से ऋण (0105 से स्थानान्तरित)-30-निवेश/ऋण नामे तथा संलग्न बी0एम0 15 के अनुसार डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 170/XXVII(1)/2008, दिनांक 03 मार्च, 2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव

संख्याः- 583 /1(2)/2008-06(1)/27(Vol-II)/03, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- सचिव-मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
4- जिलाधिकारी, देहरादून।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं ससाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7- वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन ।
8- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
9- प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- ऊर्जा सैल, उत्तराखण्ड शासन।
11- गार्ड फाईल।

(सी0 भास्कर)
अपर सचिव

बी0एम0–15

पुनर्विनियोग 2007–2008 आयोजनागत अनुदान सं0–21

नियन्त्रक अधिकारी–सचिव–ऊर्जा विभाग

विभाग का नाम– ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण		मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि मे अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में कुल अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1		2	3	4	5		6	7	8
4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01- जल विद्युत उत्पादन–आयोजनागत 190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 05- ऊर्जा विकास लि0 में विनियोजन 30- निवेश / ऋण	1200000	870116	168282	161600	6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्जे 05- पारेषण एवं वितरण–आयोजनागत 190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 05- पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 को नाबार्ड से ऋण-00 30- निवेश / ऋण	161600	941600	1038400	[illegible]
योग-	1200000	870116	168282	161600		161600	941600	1038400	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद- 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का एवं प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(सी0 भाष्कर)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–1
संख्या 170(A)/XXVII(1)/2008
देहरादून: दिनांक: 03 मार्च, 2008

पुनर्विनियोग स्वीकृत

टी0एन0 सिंह
अपर सचिव, वित्त

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या: 589 /I(2)/2008-06(1)/01/04, दिनांक 03 मार्च, 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–2

(सी0 भाष्कर)